

विषय:

एफ 13/467/2015/1-25

मंजूर
आजाक
का विभागयाचिका क्रमांक 7436/2015 द्वारा श्री देवी लाल
जिला-बड़वानी म0प्र0 विरुद्ध म0प्र0 शासन
-0-

पंजी क्रमांक / विप्र / 2015

दिनांक-16/11/15

कृपया याचिका का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर/ग्वलियर द्वारा श्री/श्रीमती देवी लाल धनराज जिला-बड़वानी म0प्र0 विरुद्ध म0प्र0 शासन के संबंध में दायर याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई दिनांक 20/11/2015 को नियत है।

प्रकरण में निम्नांकित को प्रतिवादी बनाया गया है:-

- (1) प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति क.विभाग, भोपाल
- (2) आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र. भोपाल
- (3) कलेक्टर जिला-बड़वानी मध्यप्रदेश
- (4) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-बड़वानी म.प्र.

अतः याचिका में मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु नरती कृपया आयुक्त, आदिवासी विकास को अंकितार्थ प्रस्तुत है।

D.S.

D.S.

D.S.

(T.M.)

R. S. Saxena
18.11.15

18.11

23 NOV 2015

ADIN

7B

24/11/15

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

याचिका क्रमांक WP 7436/15-श्री देवी लाल
धनराज कायमगाँव प्रमोदशाही तहसील
जिला बड़वानी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं म.प्र. शासन

पूर्व पृष्ठ से

कार्यालयीन आदेश दिनांक
28/12/15 द्वारा AC बड़वानी को OIC
आदेश नियुक्त किया गया है। आदेश
की दृष्टापूर्ति संलग्न कर शासन गली
OSD को अंकितार्थ

26/2

42

वि.प्र.को.

R. S. Saxena
21.3.16

प्रतिरक्षण आदेश जारी

करने हेतु नरती करदिये जमा
के अंकितार्थ प्रस्तुत

D.S.

विधि विभाग

R. S. Saxena
21.3.16

21/3

45442/DS/TWD
21-3-1640 No 60/वि.प्र./16
21/3/16

9659

BY. REGD. A.D. POST
IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 68574/2015

WP/7436/2015

From

Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Indore

on Merit

Fixed for 14-12-2015

WP-DA-1

Respondent No. 1

To,

State of Madhya Pradesh,
Through Principal Secretary
Tribal Welfare Department,
Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

19003
05-11-15

Indore 03-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/7436/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Devilal Dhangar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/7436/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-12-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR



Writ Petition No. 8382 /2011(S)

(Service Matter)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADSEH**BENCH AT INDORE**

- Petitioners 1.** Markandey Mishra S/o Late Ishwerdev
Aged- 41 years, Occup-Peon (Contingency)
R/o Pala Bazar,
District- Barwani (M.P.)
- 2.** Vijay Goyal S/o Shri Nandlal Goyal
Aged- 45 years, Occup-Peon (Contingency)
R/o Village- Silabad, Teh- Barwani
District- Barwani (M.P.)
- 3.** Navin Nimadey S/o Shri Bhiluram Nimadey
Aged- 38 years, Occup-Peon (Contingency)
R/o Pala Bazar, Naresh Tailor
District- Barwani (M.P.)
- 4.** Shobharam S/o Shri Shantilal Malviya
Aged-38 years, Occ. Water Man (Contingency)
R/o New Panwadi Mohalla,
District- Barwani (M.P.)
- 5.** Govind Nihale S/o Shri Dhannalal Nihale
Aged-45 years, Occup- Peon (Contingency)
R/o Implipura Road, Rajpur
District- Barwani (M.P.)

V/s

Respondents

- 1-** State of Madhya Pradesh
Through Principal Secretary,
Tribal Welfare Development,
Vallabh Bhawan, Mantralaya,
Bhopal (M.P.)
- 2.** The Commissioner,
Tribal Welfare Department
Satpuda Bhawan
Bhopal (M.P.)
- 3.** Assistant Commissioner,
Tribal Welfare Department,
Barwani (M.P.)

के.पी. 10-11
व. महाविद्यालय हार्दिकोर्ट व. के.
इन्दौर

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक/स्था07/बी/8659/2015/27171

भोपाल, दिनांक 28/12/15

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 7436/15 श्री देवीलाल धनगर, प्रयोगशाला सहायक
जिला बड़वानी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1
दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम
संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बड़वानी (म0प्र0) को (पक्षकारों के नाम ऊपर
वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने
और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसजात होने के लिये नियुक्त
करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग
नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के
साथ ऐसी रीति में जिनके बारे में नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में
उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि
प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार
करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में
निर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।
2. समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी
देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा ।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा ।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा ।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।
(ख) प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत
रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
(घ) प्रकरण के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां । वाद की सुनवाई की तारीख भी
वर्णित होनी चाहिये ।
7. प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और
प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को
सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन
करना ।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये
जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी
सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी
देगा । यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य
प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये ।

//2//

12. प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए
उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये ।
13. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट
विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा । निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी
जाये ।
14. प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों
में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर
कार्यवाही की गई है । अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से
अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रप्रेषित करे ।
15. प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च/उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत
होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करे की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति
मिल जाये और निर्धारित (निर्णीत) अवधि में अपील/रिवीजन प्रस्तुत हो जाये ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28/12/15

पृष्ठांकन/स्था.7/सी/8659/2015/27172
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता वैच इन्दौर म0प्र0 ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म0प्र0 ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म0प्र0 ।
4. कलेक्टर, बड़वानी म0प्र0 ।
5. संभागीय सहायक/नाडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, इन्दौर
म0प्र0 ।
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बड़वानी (म0प्र0) प्रभारी अधिकारी की ओर
अग्रप्रेषित । साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा
अपनी प्रगति रिपोर्ट (डिजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में
अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रप्रेषित । मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक
प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये । वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को
आवश्यक रूप से भेजी जाये । आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं
नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें । मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर
स्थगन हटाने की प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस
कार्यालय को उपलब्ध करावे ।
7. प्रभारी अधिकारी स्थापना 3-2 शाखा, मुख्यालय भोपाल, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश